फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला किस्म मुकदमा प्रा.प.

कैलाश चन्द्र बनाम ...

212 R.T.A. नं. 34/2020 सन ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/2026	प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्र पिता रतन लाल लौढा जाति जैन निवासी चिकारडा की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार मेहता एडवोकेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का विपक्षी श्री शंकर लाल पिता रतन लाल लौढा निवासी मकान नम्बर 236/16 अशोक नगर उदयपुर एवं भूमिधरी तहसीलदार डूंगला के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम चिकारडा पटवार मण्डल चिकारडा के खाता संख्या 645 में वर्णित आराजी नम्बर 2745/378 रकबा 0.0505 हैक्टेयर भूमि रामचन्द्र पिता शंकर गुर्जर निवासी चिकारडा से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख प्रार्थी एवं विपक्षी शंकर लाल द्वारा दिनांक 16-6-1986 को क्रय की गई जो वादग्रस्त है उक्त जायदाद के अलावा अन्य पुश्तैनी जायदाद आवासीय एवं कृषि भूमि से सम्बंधित भी प्रार्थी एवं विपक्षी शंकर लाल के रही है विपक्षी शंकर लाल द्वारा दिनांक 16.12.98 को आपसी पांती बंटवाड़ा क्रय हक [illegible] आपसी समझौता पत्र [illegible] निष्पादित करवाया गया और उक्त आपसी पांती बंटवाड़ा साद्दारूप समझौता पत्र से	

उपखण्ड अधिकारी डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.05.21 14:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिफिस्त जज	[illegible]
	प्रार्थी एवं विपक्षी पूर्णतया पाबन्द है और उसी के अनुरूप सन 1988 से अपने-अपने हक हिस्से की जायदाद पर प्रार्थी एवं विपक्षी काबिज होकर काश्त कर रहे है विवादित आराजी में केवल मात्र प्रार्थी का ही हक हिस्सा अधिकार है विपक्षी शंकर लाल का कोई हक हिस्सा नहीं होकर समर्पण कर उक्त जायदाद की एवज में पिकारडा बाजार में स्थित पुश्तैनी मकान एवं पुश्तैनी दोनो दुकानें विपक्षी शंकर लाल द्वारा प्राप्त कर ली गई है और पिकारडा बाजार में स्थित उक्त पुश्तैनी का मकान एवं दोनो दुकानों पर विपक्षी शंकर लाल द्वारा दिनांक 16-12-1988 को निष्पादित किये गए दस्तावेज की पालना में सहमति स्वीकृति अनुरूप ही काबिज हो उपभोग उपयोग करता आ रहा है, ग्राम नयाखेड़ी तहसील भदेसर में प्रार्थी एवं विपक्षी की पुश्तैनी जायदाद आराजी संख्या 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 503, 504, 505, 506 किता आराजी 12 कुल रकबा 3.9800 है. भूमि स्थित है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी कैलाश चन्द्र एवं विपक्षी शंकर ला[illegible] बराबर आधा-आधा [illegible] पश्चिम [illegible] रास्ते की तरफ प्रार्थी का हिस्सा ए[illegible] पूर्व से पश्चिम मे [illegible] मेगा के खेत की दिशा में विपक्षी	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.05.21 14:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला ....मुकाम.......... उपखण्ड अधिकारी डूंगला .... किस्म मुकदमा [illegible]

केशव [illegible] 3/4/2020 ....बनाम.... अंबालाल ....सन.... 2020

212 R.T.A. ....न....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शंकर लाल की एक हिस्सा की जायदाद जमीन रही है जिसका प्रार्थी एवं विपक्षी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसी प्रकार से ग्राम निकारड़ा में चौगो का मोहल्ला में स्थित पुश्तैनी मकान व गोकड़ा वाला मकान कुम्हारों का मोहल्ला वाला कच्चा नोहरा प्रार्थी के हक हिस्से में रहा है और प्रार्थी के कब्जे में ही होकर उपयोग उपभोग कर रहा है इस प्रकार से विवादित आराजीयात पर सन 7531 से प्रार्थी ही उपयोग, उपभोग करता चला आरहा है तथा चार दुकानों का निर्माण हो रखा है जिसमें कृषि सामग्री एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य उपकरण रखे हुए है उक्त विवादित कृषि भूमि पर एकल स्वामित्व व आधिपत्य केवल मात्र प्रार्थी का ही है तथा 60 वर्षों से अधिक समय से निर्बाध रूप से सभी आम एवं खास की जानकारी में उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है इस प्रकार से विवादित भूमि प्रार्थी के हक अधिकार की होकर खातेदारी की घोषित किया जाना न्यायसंगत है विपक्षी [illegible] के एकल स्वामित्व [illegible] आराजी पर दखल अन्दाजी कर कब्जे में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है इसलिए	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.05.21 14:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	इसलिए विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबंद किया जावे तथा मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबंद किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तत्पश्चात विपक्षी शंकर लाल के विरुद्ध प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी किया गया तथा पत्रावली को दिनांक 12.2.24 को विपक्षी के जवाब के लिए नियत की गई। दिनांक 3/8/2024 को विपक्षी सं. 1 की ओर से मूल वाद में श्री पूनमचंद मेहता एडवोकेट द्वारा उपस्थिति दी गई है इसलिए पत्रावली में जवाब के लिए अवसर चाहा गया जो दिया गया। दिनांक दिनांक 17.3.2025 को विपक्षी संख्या -1 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या -1 के अनुसार प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजी [illegible] रकबा 0.0505 हेक्टेयर का [illegible] हिस्सा दिनांक 16-6-19[illegible] [illegible] निवासी गिलकांडा [illegible] की रजिस्टर्ड दस्तावेज [illegible] क्रय की गई होकर दोनों पक्षों का 1/4, 1/4 का एक हिस्सा	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.05.21 14:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला किस्म मुकदमा डी.एल.

मैाबा बनाम शंकर लाल

213 R.T.A. नं. 345/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनितिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार बनता है। अन्य सुनैवी जागसार का हस्तगत मामले में कोई संबंध सरोकार नहीं है विपक्षी ने प्रार्थी के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि पर बनी हुई दुकानों एवं मकानात को लेकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश निम्बाहेडा में बंटवारा का दावा कर रखा है तथा इस मामले को लेकर अपील माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में कर रखी है जहाँ से माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश पारित किया गया है। इस तरह इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। पत्रावली को वकील विपक्षी का जवाब प्राप्त होने से बहस में नियत की गई। वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील उभय पक्ष द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने के उपरान्त पाया गया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 2745/878 के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य हुए पारिवारिक पांती बंटवारा की लिखापढ़ी दिनांक 16.12.1988 के आधार पर प्रार्थी एवं विपक्षी के [illegible] आधार पर हक [illegible] होकर निर्णय होना [illegible] पत्र को स्वीकार किया जाता है, तथा [illegible] बाद के निस्तारण होने तक दोनों पक्ष मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु न्यायालय	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.05.21 14:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	हाजा द्वारा तुर्द में प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश दिनांक 29-12-2020 को मूल वाद के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाकर आदेश दिया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.05.21 14:38:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner